



CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2026-8.584



Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

डिजिटल शासन एवं सामाजिक सुधार : भारत में समावेशी, सुरक्षित एवं नागरिक-केंद्रित शासन की दिशाएँ

**डॉ. रूपा मंगलानी
डॉ. सहदेव सिंह चौधरी**

राजकीय कन्या महाविद्यालय, किशनपोल, जयपुर

Email- sahdevsingh875@gmail.com, Mobile-7300647141

First draft received: 19.08.2026, Reviewed: 26.08.2026

Final proof received: 29.08.2026, Accepted: 29.09.2026

सार-संक्षेप

इक्कीसवीं सदी में डिजिटल प्रौद्योगिकी शासन, राज्य-नागरिक संबंध और सामाजिक परिवर्तन को पुनर्परिभाषित कर रही है। भारत में डिजिटल शासन इलेक्ट्रॉनिक शासन से आगे बढ़कर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर-डीपीआई) के व्यापक तंत्र में विकसित हुआ है। आधार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यूपीआई, डिजिलाकर, उमंग, सामान्य सेवा केंद्र, ई-श्रम, ई-संजीवनी, पोषण ट्रैकर, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य ने सेवा-प्रदाय, पारदर्शिता और निगरानी को नई दिशा दी है।

यह शोध-पत्र डिजिटल शासन और सामाजिक सुधार के अंतर्संबंध का विश्लेषण करता है, विशेषतः महिला सुरक्षा, मातृत्व, बाल संरक्षण, असंगठित श्रमिकों और वंचित वर्गों के संदर्भ में। साथ ही डिजिटल विभाजन, निजता, साइबर सुरक्षा, एल्गोरिथ्मिक पक्षपात तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न शक्ति-केंद्रीकरण जैसी चुनौतियों का विवेचन किया गया है। 2026 में सैम ऑल्टमैन द्वारा मानव नियंत्रण के क्षरण और अत्यधिक शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण शक्ति-केंद्रीकरण संबंधी चेतावनियाँ इस विमर्श को समकालीन संदर्भ प्रदान करती हैं।

अध्ययन का निष्कर्ष है कि डिजिटल शासन तभी सामाजिक सुधार का प्रभावी माध्यम बन सकता है जब तकनीकी दक्षता के साथ सामाजिक न्याय, मानव गरिमा, निजता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और मानवीय नियंत्रण को समान महत्व दिया जाए।

मुख्य-शब्द - डिजिटल शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सामाजिक सुधार, डिजिटल समावेशन, महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, ई-श्रम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नागरिक सहभागिता, सामाजिक न्याय।

प्रस्तावना

“वेब तकनीकी उपलब्धि से कहीं अधिक एक सामाजिक सृजन है।”

- टिम बर्नर्स-ली

समकालीन डिजिटल शासन पहल : आधार-सेवाओं में पाँच नए परिवर्तन

2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार-आधारित सेवाओं को अधिक सरल, सुगम और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए पाँच प्रमुख पहलों की घोषणा की है। इनमें ई-पीडीएस के लिए चेहरा प्रमाणीकरण, नया आधार पोर्टल 2.0, आधार वेबसाइट एवं अनुप्रयोग का पुनर्रचना, कम-आवृत्ति वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सरल प्रमाणीकरण ढाँचा तथा नया टोकन प्रबंधन तंत्र शामिल हैं। विशेष रूप से ई-पीडीएस में चेहरा प्रमाणीकरण पहचान की प्रक्रिया को अधिक सहज बनाने और लाभार्थियों के लिए सेवा-प्राप्ति को सरल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये पहल डिजिटल शासन को केवल ऑनलाइन सेवा से आगे बढ़ाकर सुगमता, उपयोगकर्ता-केंद्रितता और सेवा-प्रदाय की दक्षता से जोड़ती हैं।

इन पहलों का वास्तविक मूल्यांकन केवल तकनीकी सुविधा से नहीं, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि क्या वे अंतिम व्यक्ति के लिए सेवा को अधिक सुलभ बनाती हैं, प्रमाणीकरण

संबंधी असफलताओं को घटाती हैं और नागरिकों की निजता तथा जैव-आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। अतः सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन इन पहलों की सफलता की प्रमुख कसौटी होगा

टिम बर्नर्स-ली का कथन डिजिटल प्रौद्योगिकी के सामाजिक उद्देश्य को रेखांकित करता है। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का महत्व केवल सूचना-प्रसार में नहीं, बल्कि सामाजिक सहयोग, संस्थागत क्षमता और नागरिक सहभागिता के विस्तार में है। यही दृष्टि डिजिटल शासन के लिए भी प्रासंगिक है।

भारत में डिजिटल शासन सरकारी कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण तक सीमित नहीं रहा। डिजिटल पहचान, भुगतान, दस्तावेज, डेटा-साझाकरण, मोबाइल सेवाएँ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिलकर शासन की नई संरचना बना रहे हैं। भारत सरकार डिजिटल शासन को कंप्यूटरीकरण से आगे बढ़ाकर नागरिक-केंद्रितता, सेवा-उन्मुखता, पारदर्शिता और परस्पर-संचालनशीलता से जोड़ती है।^[12]

2026 में राष्ट्रीय डेटा शासन के अंतर्गत सरकारी डेटाबेस की परस्पर-संचालनशीलता और डेटा-फाइलो में कमी पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित नई तकनीकों के उपयोग को नागरिक विश्वास, सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के साथ संतुलित करना है।^[13]

इस संदर्भ में केंद्रीय प्रश्न यह है कि डिजिटल शासन राज्य को केवल अधिक कुशल बना रहा है अथवा उसे वास्तविक रूप से अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और मानवीय भी बना रहा है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि डिजिटल शासन का मूल्यांकन तकनीकी विस्तार से नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों, समान पहुँच और सामाजिक न्याय पर उसके प्रभाव से भी किया जाना चाहिए।

शोध के उद्देश्य एवं पद्धति

इस अध्ययन के उद्देश्य हैं : भारत में डिजिटल शासन की प्रकृति का विश्लेषण; महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण और वंचित वर्गों पर इसके सामाजिक प्रभावों का अध्ययन; श्रेष्ठ डिजिटल प्रक्रियाओं की पहचान; तथा निजता, डिजिटल विभाजन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण करना है।

यह अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें 2026 के भारत सरकार के मंत्रालयों, आधिकारिक पोर्टलों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दस्तावेजों तथा प्रासंगिक सार्वजनिक वक्तव्यों का उपयोग किया गया है।

सार रूप में अध्ययन का आधार आधिकारिक स्रोतों और नीतिगत दस्तावेजों पर आधारित विश्लेषण है; इसलिए इसके निष्कर्ष संस्थागत नीतियों और उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं के संदर्भ में समझे जाने चाहिए।

ई-शासन से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तक की प्रगति

भारत में ई-शासन का प्रारंभ सरकारी सेवाओं के कंप्यूटीकरण से हुआ। वर्तमान चरण में इसका विस्तार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तक हो चुका है। इसके प्रमुख घटक हैं—आधार आधारित डिजिटल पहचान, यूपीआई आधारित भुगतान, डिजिलॉकर आधारित दस्तावेज, उमंग आधारित एकीकृत सेवाएँ तथा सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिक स्तर पर अंतिम छोर तक पहुँच बनाना।

इस प्रतिमान अथवा मॉडल की केंद्रीय विशेषता परस्पर-संचालन शीलता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न डिजिटल प्रणालियाँ निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित रूप से एक-दूसरे के साथ कार्य करती हैं। इससे नागरिकों को अनावश्यक देरी, लालफीताशाही से राहत तथा त्वरित एवं निर्बाध सेवा का अनुभव मिल सकता है।^{1]}

अतः डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की प्रभावशीलता उसके तकनीकी विस्तार से अधिक सुरक्षित परस्पर-संचालनीयता और नागरिक-केंद्रित सेवा-प्रदान किए जाने पर निर्भर है।

डिजिटल शासन और सामाजिक सुधार

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर-डीबीटी (कल्याणकारी शासन में डिजिटल तकनीक का महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस व्यवस्था में सरकारी सहायता सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाने से भुगतान अधिक प्रत्यक्ष, पारदर्शी तथा निगरानी योग्य बनता है।

यद्यपि इसकी सफलता केवल हस्तांतरित राशि से निर्धारित ही नहीं होती, बल्कि इसके लिए पात्रता की शुद्धता, समयबद्धता, वास्तविक पहुँच तथा प्रभावी शिकायत-निवारण भी आवश्यक हैं। इसके साथ ही प्रमाणीकरण या डिजिटल पहुँच में कठिनाई झेलने वाले नागरिकों के लिए वैकल्पिक सहायता-व्यवस्था अनिवार्य है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण - एक ओर 'ई-संजीवनी' जैसी व्यवस्थाओं ने दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकीय परामर्श की पहुँच

बढ़ाई है, दूसरी ओर 'दीक्षा' सरीखे डिजिटल प्रावधानों शैक्षिक सामग्री और शिक्षक-प्रशिक्षण को व्यापक मंच प्रदान किया है।

'पोषण ट्रैकर' ने आंगनवाड़ी सेवाओं, बाल पोषण तथा मातृ-शिशु सेवाओं की निगरानी में डिजिटल आँकड़ों का उपयोग बढ़ाया है। इन सभी व्यवस्थाओं से सुगम नागरिक सेवाओं एवं प्रगतिशील सामाजिक नीति के नीरमान तथा निष्पादन के लिए आँकड़ा-आधारित निर्णय-निर्माण का आधार मिलता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि डिजिटल शासन कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच और निगरानी सुधार सकता है, परंतु इसकी सफलता समावेशी पहुँच, वैकल्पिक सहायता और प्रभावी शिकायत-निवारण पर निर्भर है।

महिला सुरक्षा : डिजिटल शासन का सामाजिक प्रभाव

महिला सुरक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शासन तकनीकी सुविधा के साथ संस्थागत समन्वय का प्रभावी माध्यम बन रहा है। मिशन शक्ति के 'संबल' और 'सामर्थ्य' घटक महिलाओं एवं बालिकाओं, विशेषकर वंचित वर्गों को सुरक्षा, सूचना और सेवाएँ उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं। इसके अंतर्गत पुलिस, स्वास्थ्य, विधिक सहायता, महिला एवं बाल विकास तथा स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया गया है। वन-स्टॉप सेंटर हिंसा प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, पुलिस, मनोसामाजिक और अस्थायी आश्रय सेवाएँ एकीकृत रूप में उपलब्ध कराते हैं। डिजिटल पहचान और ऑनलाइन माध्यम सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाते हैं। साथ ही साइबर उत्पीड़न, पहचान-चोरी, डीपफेक, अश्लील सामग्री और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं। ऑनलाइन शिकायत तंत्र महिलाओं को पुलिस एवं न्याय व्यवस्था तक सुगम पहुँच प्रदान करता है। चैट, ई-मेल, स्क्रीनशॉट और सीसीटीवी जैसे डिजिटल साक्ष्य अपराध-जाँच में महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तिगत, बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य एवं वित्तीय सूचनाओं की निजता और सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 इस दिशा में महत्वपूर्ण विधिक आधार प्रदान करता है। डिजिटल शासन को लैंगिक-संवेदनशील, समावेशी और डिजिटल साक्षरता-अनुकूल बनाना आवश्यक है। भाषा, आर्थिक स्थिति और डिजिटल पहुँच की बाधाओं को दूर करना भी इसकी प्राथमिकता है। हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप, लोकेशन-आधारित सहायता और डिजिटल पुलिसिंग त्वरित सुरक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। इस प्रकार डिजिटल शासन महिला सुरक्षा को अधिक सुलभ, समन्वित, त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

बाल संरक्षण और डिजिटल शासन

'मिशन वात्सल्य' के अंतर्गत बाल संरक्षण को डिजिटल प्रणालियों से जोड़ना सामाजिक सुधार का महत्वपूर्ण उदाहरण है। 'ट्रैकचाइल्ड' तथा 'खोया-पाया' जैसी प्रणालियों को मिशन वात्सल्य के डिजिटल ढाँचे से जोड़ा गया है। ट्रैकचाइल्ड का अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणाली) सीसीटीएनएस (से जुड़ाव लापता बच्चों से संबंधित सूचनाओं के मिलान में सहायता करता है।^{16]} इससे बाल तस्करी रोकथाम तथा गुमशुदा बच्चों की समस्या के समाधान का कारगर या प्रभावी निदान किया जाना अपेक्षित है।

'चाइल्ड हेल्पलाइन 1098' को 'आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112' से जोड़ने का उद्देश्य संकटग्रस्त बच्चों तक शीघ्र सहायता पहुँचाना है।^{17]}

यह नागरिक सूचना, पुलिस व्यवस्था और बाल संरक्षण संस्थाओं के बीच परस्पर-संचालनशीलता का उदाहरण है।

इस प्रकार बाल संरक्षण में डिजिटल प्रणालियों का मूल्य संस्थागत समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और संवेदनशील मानवीय हस्तक्षेप से निर्धारित होता है।

मातृत्व और महिला सशक्तीकरण

‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ डिजिटल शासन और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्संबंध का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है तथा गर्भावस्था पंजीकरण, प्रसवपूर्व देखभाल और टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य संकेतकों को महत्व दिया जाता है।^[8]

डिजिटल मंच यहाँ केवल धन हस्तांतरण का साधन ही नहीं है, बल्कि महिला स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा को एकीकृत करने का माध्यम भी है।

महिला आर्थिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में **‘मुद्रा योजना’** तथा सरकारी ई-बाज़ार जैसे डिजिटल मंचों ने महिला उद्यमिता के अवसरों का विस्तार किया है।^[9] भारत में **‘करोड़पति दीदी’** जैसे नवाचारों ने महिला आर्थिक स्वावलंबन के लिए एक नई इबारत लिखी है।

सार रूप में डिजिटल शासन मातृत्व सहायता को आर्थिक हस्तांतरण से आगे बढ़ाकर स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तीकरण से जोड़ सकता है।

वंचित वर्ग और असंगठित श्रमिक : ई-श्रम

असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना भारत की प्रमुख सामाजिक चुनौतियों में है। **‘ई-श्रम पोर्टल’** ने इस दिशा में डिजिटल पहचान और सामाजिक सुरक्षा की आधारभूत संरचना विकसित की है।

2026 में देश में **ई-श्रम पोर्टल** पर करोड़ों असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं को इससे जोड़ने का प्रयास किया गया है।^[10]

ई-श्रम का एकल-प्रवेश प्रणाली मॉडल महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे श्रमिकों को अनेक कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम हो सकती है। सामान्य सेवा केंद्र इस प्रक्रिया में डिजिटल रूप से कमजोर नागरिकों को सहायता प्रदान करते हैं।

इससे स्पष्ट है कि डिजिटल समावेशन (inclusiveness) केवल इंटरनेट उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं; सहायता, प्रशिक्षण और वैकल्पिक सेवा-प्रवेश भी उसका आवश्यक हिस्सा हैं।

इस प्रकार **ई-श्रम पोर्टल** जैसी व्यवस्थाएं डिजिटल पहचान को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ता है, परंतु इसकी समावेशिता स्थानीय सहायता और गैर-डिजिटल विकल्पों की उपलब्धता पर निर्भर है।

भारत के लिए डिजिटल शासन की श्रेष्ठ प्रक्रियाएँ

भारत में वर्तमान समय में सुशासन के नवाचारों में मुख्यतः डिजिटल शासन की निम्नलिखित श्रेष्ठ प्रक्रियाएँ (बेस्ट प्रैक्टिस) उभरती हैं—

1. डिजिटल-मानव समन्वित मॉडल : डिजिटल सेवाओं के साथ मानवीय सहायता उपलब्ध हो।

2. एकल-प्रवेश प्रणाली : अनेक सेवाओं को एकीकृत मंच से जोड़ा जाए।

3. परस्पर-संचालनशीलता : सरकारी प्रणालियाँ सुरक्षित और निर्धारित मानकों के अनुसार जुड़ी हों।

4. प्रत्यक्ष एवं पारदर्शी सेवा-वितरण : लाभ सीधे पात्र नागरिकों तक पहुँचे।

5. वास्तविक समय आधारित निगरानी : डैशबोर्ड और ऑकड़ों से योजनाओं की निरंतर समीक्षा हो।

6. नागरिक सहभागिता : नागरिक प्रतिक्रिया, सामाजिक लेखा-परीक्षण और नीति-निर्माण में सहभागी हों।

7. अधिकार-आधारित अभिकल्पना : निजता, सहमति, शिकायत-निवारण और मानवीय अपील को आरंभ से शामिल किया जाए।

8. मानवीय नियंत्रणाधीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता : अधिकारों को प्रभावित करने वाले अंतिम निर्णयों में मानवीय उत्तरदायित्व बना रहे।

उक्त डिजिटल शासन की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अनुभव से यह कहा जा सकता है कि डिजिटल शासन तकनीकी एकीकरण, संस्थागत उत्तरदायित्व और नागरिक अधिकारों के संतुलन पर आधारित होना चाहिए।

डिजिटल शासन की चुनौतियाँ

क (डिजिटल विभाजन

यह एक कटु तथ्य है कि भारत में ग्रामीण नागरिकों, महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में उपकरण, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की असमानता बनी हुई है। इसलिए इसको देखते हुए डिजिटल-प्रथम व्यवस्था को डिजिटल-एकमात्र व्यवस्था नहीं बनाया जाना चाहिए।

ख (निजता और डेटा संरक्षण

यह सत्य है कि डिजिटल शासन में व्यक्तिगत डेटा का व्यापक उपयोग होता है। इसके लिए न्यूनतम आवश्यक डेटा-संग्रह, स्पष्ट सहमति, उद्देश्य-सीमित उपयोग तथा सुरक्षित भंडारण आवश्यक हैं। **‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025’** इस संदर्भ में नियामकीय आधार प्रदान करते हैं।^[11]

ग(साइबर सुरक्षा

देश में डिजिटल सेवाओं पर निर्भरता बढ़ने से साइबर अपराध और हमलों का प्रभाव भी बढ़ रहा है। अतः साइबर सुरक्षा को डिजिटल शासन की मूल संरचना में शामिल करना अनिवार्य है।

घ (एल्गोरिद्म पक्षपात

यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पक्षपाती ऑकड़ों से सीखती है, तो वह सामाजिक असमानताओं को कम करने के बजाय पुनरुत्पादित कर सकती है। इसलिए एल्गोरिद्मिक लेखा-परीक्षण और मानवीय पर्यवेक्षण किया जाए।

अतः देश में डिजिटल शासन की विश्वसनीयता, समावेशी पहुँच, मजबूत डेटा-सुरक्षा, साइबर लचीलापन और एल्गोरिद्मिक उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता : प्रगति के साथ चेतावनी

हिन्दी के प्रख्यात कवि **रामधारी सिंह ‘दिनकर’** की यह पंक्तियाँ तकनीकी विकास के उद्देश्य पर प्रश्न उठाती हैं—

“लक्ष्य क्या? उद्देश्य क्या? क्या अर्थ?

यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ।”^[12]

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में प्रश्न केवल उसकी क्षमता का ही नहीं है, बल्कि उसके उद्देश्य, नियंत्रण और लाभ-वितरण का भी है।

सितंबर 2026 में सैम ऑल्टमैन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दो प्रमुख जोखिमों की ओर संकेत किया है - : पहला मनुष्यों का AI पर नियंत्रण खो देना तथा दूसरा, अत्यधिक शक्तिशाली AI के कारण शक्ति का किसी व्यक्ति, कंपनी या सरकार में केंद्रित हो जाना। उन्होंने AI को मानव सेवा में रखने तथा सुरक्षा और मानवीय उद्देश्यों के अनुरूपता को उसकी क्षमताओं की वृद्धि से आगे रखने पर बल दिया।^[13]

OpenAI के 2026 के आधिकारिक दस्तावेज में भी शक्तिशाली AI प्रणालियों को मानव नियंत्रण, सुरक्षा और व्यापक लाभ-वितरण के अधीन रखने की आवश्यकता व्यक्त की गई है।^[14]

इन चेतावनियों के फलस्वरूप भारत ने 2026 में सुरक्षित और विश्वसनीय AI के लिए सिद्धांत-आधारित शासन-ढाँचे तथा AI सुरक्षा और शासन से संबंधित संस्थागत व्यवस्थाओं की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।^[15]

अतः डिजिटल शासन में AI का आदर्श रूप मानव-केंद्रित होना चाहिए-ऐसी तकनीक जो मानवीय क्षमता बढ़ाए, परंतु अधिकारों और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को कमजोर न करे।

इस प्रकार AI शासन का केंद्रीय सिद्धांत तकनीकी क्षमता नहीं, बल्कि मानवीय नियंत्रण, शक्ति का विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता और व्यापक सामाजिक लाभ होना चाहिए।

डिजिटल शासन की अंतिम कसौटी 'अंतिम व्यक्ति'

भारत में डिजिटल शासन ने प्रशासनिक आधुनिकीकरण को सामाजिक सुधार से जोड़ा है। 'मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ई-श्रम तथा पोषण और स्वास्थ्य संबंधी डिजिटल मंच' आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

इन अनुभवों से स्पष्ट है कि श्रेष्ठ डिजिटल शासन केवल ऐप, पोर्टल और ऑकड़ों का निर्माण नहीं है। इसकी वास्तविक शक्ति संस्थागत समन्वय, सेवा-पहुँच, नागरिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के संयोजन में है।

भारत में डिजिटल शासन की सफलता की अंतिम नैतिक कसौटी महात्मा गांधी द्वारा सीए गए लोकप्रिय मंत्र में निहित है, जिसमें किसी भी निर्णय के समय सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का स्मरण कर यह पूछने की बात कही गई है कि प्रस्तावित कदम उसके जीवन और भविष्य पर नियंत्रण बढ़ाएगा अथवा नहीं।^[16]

डिजिटल शासन के संदर्भ में भी महात्मा गांधी के कथनानुसार इस प्रकार परखी जा सकती है कि “किसी डिजिटल नीति की सफलता का निर्धारण इस बात से होना चाहिए कि उससे समाज के अंतिम व्यक्ति को कितना लाभ, सम्मान, सुरक्षा और अधिकार प्राप्त हुआ।”

टिम बर्नर्स-ली डिजिटल तकनीक को सामाजिक सृजन के रूप में देखते हैं; कवि रामधारी सिंह दिनकर विज्ञान के उद्देश्य की याद दिलाते हैं; और गांधी अंतिम व्यक्ति की कसौटी प्रदान करते हैं। इन तीनों दृष्टियों का समन्वय डिजिटल शासन का मानवीय दर्शन प्रस्तुत करता है कि “तकनीक साधन है; मनुष्य और समाज उसका लक्ष्य हैं।”

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत के डिजिटल शासन का भावी आदर्श केवल “डिजिटल भारत” नहीं, बल्कि “अधिकार-सम्मत, समावेशी, सुरक्षित, उत्तरदायी और मानवीय नियंत्रण वाला डिजिटल भारत” होना चाहिए।

डिजिटल शासन की वास्तविक सफलता तब होगी जब चमचमाते महानगरों के अभिजात्य वर्ग ही नहीं बल्कि दूरस्थ गाँव की महिलाएं, डिजिटल सुविधा से वंचित वृद्ध, असंगठित श्रमिक, लापता बच्चे का परिवार, गरीब विद्यार्थी और सामाजिक रूप से वंचित नागरिकों को राज्य की समस्त सुविधाएं, सुरक्षा तंत्र एवं अधिकारों के अवसर प्राप्त हो सके।

सारत : डिजिटल शासन तभी वास्तविक सामाजिक सुधार बनता है जब वह प्रशासनिक दक्षता को सामाजिक न्याय, मानव गरिमा और अंतिम व्यक्ति के अधिकारों से जोड़ पाए।

फुटनोट

[1] सैम ऑल्टमैन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति से मानव नियंत्रण के क्षरण और शक्ति के केंद्रीकरण संबंधी सार्वजनिक वक्तव्य, 14 सितंबर 2026।

[2] इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, “डिजिटल शासन”, 2026।

[3] राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग, “राष्ट्रीय डेटा शासन ढाँचा : परस्पर-संचालनीय एवं एकीकृत सरकारी डेटाबेस”, 2026।

[4] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, “मिशन शक्ति : महिला सुरक्षा, संरक्षा एवं सशक्तीकरण”, 2026।

[5] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन संबंधी 2026 की सूचना।

[6] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, “मिशन वात्सल्य : बाल संरक्षण की डिजिटल व्यवस्था”, 2026।

[7] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, “बाल हेल्पलाइन 1098 एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली”, 2026।

[8] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, “प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना”, 2026।

[9] भारत सरकार, महिला उद्यमिता एवं सरकारी ई-बाज़ार संबंधी 2026 के तथ्य-पत्र।

[10] श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, “ई-श्रम पोर्टल और असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा”, 2026।

[11] इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, “डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025”।

[12] रामधारी सिंह ‘दिनकर’, “मनुष्यता”, कविता। उपलब्ध पाठ में विज्ञान के उद्देश्य और मानवता के संबंध को रेखांकित किया गया है।

[13] सैम ऑल्टमैन, 14 सितंबर 2026, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मानवीय नियंत्रण तथा शक्ति के केंद्रीकरण संबंधी वक्तव्य।

[14] सैम ऑल्टमैन एवं जकब पाकोकी, “बिल्ट टू बेनिफिट एवरीवन : आवर प्लान”, ओपनएआई, 8 जून 2026।

[15] भारत सरकार, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, “सुरक्षित एवं विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन”, 2026; भारत सरकार ने 2026 में AI शासन के लिए सिद्धांत-आधारित ढाँचे और AI सुरक्षा संबंधी संस्थागत उपायों पर बल दिया।

[16] महात्मा गांधी, 'अंतिम व्यक्ति की कसौटी' अथवा 'ताबीज', द वाइस ऑफ़ ट्रुथ में संकलित।

संदर्भ ग्रंथ एवं स्रोत

1. बर्नर्स-ली, टिम। वीबिंग द वेब : द ओरिजिनल डिजाइन एंड अल्टिमेट डेस्टिनी ऑफ़ द वर्ल्ड वाइड वेब। हार्पर सैन फ्रांसिस्को, 1999।
2. भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम।
3. भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 एवं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025।
4. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मिशन शक्ति : महिला सुरक्षा, संरक्षा एवं सशक्तीकरण की रूपरेखा।
5. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मिशन वात्सल्य : बाल संरक्षण संबंधी दिशा-निर्देश।
6. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
7. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पोषण ट्रेकर एवं सक्षम आंगनवाड़ी।
8. भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ई-श्रम पोर्टल : असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा।
9. भारत सरकार, गृह मंत्रालय। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल।
10. राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग। राष्ट्रीय डेटा शासन ढाँचा। 2026।
11. भारत सरकार, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन एवं सुरक्षित तथा विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन। 2026।
12. ऑल्टमैन, सैम एवं पाकोकी, जकब। बिल्ट टू बेनिफिट एवरीवन : आवर प्लान। ओपनएआई, 2026।
13. दिनकर, रामधारी सिंह। मनुष्यता। कविता।
14. गांधी, महात्मा। द वाइस ऑफ़ ट्रुथ में संकलित 'ताबीज' एवं अंतिम व्यक्ति की कसौटी संबंधी विचार।
15. विश्व बैंक। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं डिजिटल विकास।
16. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। समावेशी एवं भविष्य-उन्मुख सार्वजनिक सेवाएँ।